न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

निगरानी 2527-I-15

गुलजारी तनय हन्नू कुर्मी
ग्राम नदया तह राजनगर जिला छतरपुर .....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म.प्र.शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 27/02/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रही है :—

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नदया तह. राजनगर जिला छतरपुर स्थित भूमि खसरा क्र 1188 रकवा 2 हेक्टेयर भूमि पर निगरानीकर्ता का 2/10/1984 के पूर्व से कब्जा होने के कारण दखलरहित अधिनियम के अंतर्गत निगरानीकर्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर दिनांक 11/7/2001 को तहसीलदार राजनगर द्वारा व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया जिसे अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा काफी लंबी अवधि पश्चात् स्वप्रेरणा निगरानी मे पंजीबद्व कर निरस्त कर दिया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत रूप से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर को इस बात को मानना चाहिए था कि तहसीलदार राजनगर द्वारा विधिवत् सुनवाई करते हुए इश्तहार प्रकाशन कर पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण में आए दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपना विधि सम्मत् आदेश पारित किया था जिसमें कानूनन किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी परंतु अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा मनमाने तौर पर बिना किसी युक्तियुक्त आधार के अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2527 –एक/15 **जिला** –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
17.11.15	आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित, उनके द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्तागण तर्क सुने । 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्र0क0 118/अ–19(4)/स्व0 निग0/05–06 में पारित आदेश दिनांक 27.2.15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है । 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि का पटट्ा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम नंदया की भूमि सर्वे न0 1188/ रकवा 9.032 है0 में से 1.500 है0 का पटट्ा भूमिस्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये जाने का अधिकार प्रदान किया गया है । आवेदक का कब्जा लगभग 30 वर्षो से चला आ रहा है । खसरा की नकल में आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार राजनगर द्वारा प्र0 क0 7/अ–19(4)/2000–01 आदेश दिनांक 11.7.2001 को आवेदक के नाम भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करते हुये विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। अधीनस्थ द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जांच सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत विवादित आदेश पारित करते हुये भूमि शासन के नाम दर्ज किये जाने	

के आदेश दिये गये है। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

4– आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 15 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि पटट्ेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्व म0 प्र0 शासन में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिये तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है । इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रकिया समय सीमा में की जाना चाहिये । माननीय उच्च न्यायालय न्यायधीश श्री एस0के0 गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्व म0 प्र0 शासन तथा एक अन्य रे0नि0 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुये अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को 2.10.1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया है । प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 2001 में किया गया है । एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई है। ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूँ। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर

कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.2.15 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.7.2001 स्थिर रखा जाता है परिणमतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुये यह निगरानी स्वीकार की जाती है । तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । प्रकरण दाखिला रिकार्ड हो ।

सदस्य